Form No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)
Order Sheet

CNR No.

Court of Add. Distt & Session Judge, Makrana, Deedwana-Kuchaman (Raj)

Kind of Case दीवानी मूल

Number of Case 62/2016, 53/2016 CIS No. 91/2019

शौकत अली व अन्य Versus मुख्तयार अहमद व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of complainve of order
26-02-2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। साक्ष्य वादी में गवाह पी.ड.02 अब्दुल हमीद के बयान लेखबद्ध किए गए। साक्ष्य वादी में और गवाह पेश करना चाहा। प्रकरण में दिनांक 24.09.2024 को वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 22 निमय 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी संख्या 19 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाकर पत्रावली संशोधित शीर्षक हेतु नियत की गई। उसके पत्रावली दिनांक 15.10.2024 को प्रतिवादी द्वारा आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 24.10.2024 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। उसके पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.11.2024, 19.12.2024, 16.01.2025, 06.02.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना चाहा और दिनांक 06.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 मुख्तयार अहमद की मृत्यु होना जाहिर किया और कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु अवसर चाहा। जिसके पश्चात दिनांक 13.02.2025 को वकील वादी ने आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 20.02.2025 को नियत की गयी। दिनांक 20.02.2025 को वकली वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिया गया और पत्रावली संशोधित शीर्षक/ जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी हेतु दिनांक 06.03.2025 को नियत की गयी। दिनांक 06.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से वकील मोहम्मद उमर की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 21.03.2025 को वादी की ओर से संशोधित शीर्षक पेश किया गया और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी पर 1000/- रुपए की कोस्ट पर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया गया। उसके पश्चात दिनांक 01.05.2025 को प्रकरण में विवाधक विरचित किये गये और दिनांक 03.07.2025, 05.07.2025 को पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत रही। दिनांक 10.07.2025 को वकली वादी ने आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 19.07.2025 व 24.07.2025 को पत्रावली उक्त	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

Number of Case CNR No.

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer
	प्रार्थना पत्र के जवाब में नियत रहीं दिनांक 31.07.2025 को वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर वादीगण के दस्तावेज को कोस्ट राशि 3000/ रूपए पर रिकार्ड पर लिया गया। उसके पश्चात दिनांक 02.08.2025, 14.08.2025 28.08.2025 को पत्रावली में साक्ष्य वादी हेतुं अवसर चाहा गया। दिनांक 04.09.2025 को वकली वादी ने साक्ष्य वादी गवाह गवाह अब्दुल कयूम का शपथ पत्र पेश किया। उसके पश्चात दिनांक 11.09.2025 को वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 18.09.2025 को वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर कोस्ट राशि 3000/— रूपए पर प्रार्थना पत्र निस्तारण कर दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया। दिनांक 20.09.2025 को वादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 11 नियम 12 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। उसके पश्वात दिनांक 25.09.2025, 04.10.2025, 09.10.2025, 16.10.2025, 30.10.2025, 31.10.2025 को पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस हेतु नियत रही। दिनांक 06.11.2025 को वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। दिनांक 13.11.2025 को वकील वादी ने वादी नवाब अली का फौत होना जाहिर किया और कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर चाहा। दिनांक 20.11.2025 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया, जिस पर प्रतिवादी ने जवाब पेश करना नहीं चाहा। दिनांक 25.11.2025 को वकील वादी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी संख्या 11 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया और उसके पश्चात दिनांक 27.11.2025 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 11.12.2025, 18.12.2025, 20.12.2025, 08.01.2026, 15.01.2026 को पत्रावली में साक्ष्य वादी में गवाह पी.ड.1 अब्दुल कयूम उर्फ मुन्ना के बयानों में रही। दिनांक 22.01.2026 को गवाह पी.ड.1 अब्दुल कयूम के बयान लेखबद्ध किये गये और संपूर्ण गवाह के शपथ पत्र पेश करने हेतु अवसर दिया गया और आगामी पेशी पर संपूर्ण गवाह के शपथ पत्र पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 29.01.2026 को वकील वादी ने गवाह मोहम्मद इलियास, शहादत अली चौहान, मुंशी सिंह के शपथ पत्र पेश किये। दिनांक 31.01.2026 को वकील वादी ने पुनः साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा। दिनांक 21.02.2026 को वकील वादी ने जाहिर किया कि गवाह सहादत अली, मोहम्मद इलियास, मुंशी सिंह वादीगण के निवेदन पर साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आ रहे हैं, जिस

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बकरहा, जिला ...

Versus

…ate	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of complainve of order
	पर उक्त गवाहान के शपथ पत्र को पत्रावली के डी भाग में शामिल किया गया और पुनः साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहा। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तनकियात कायम किए जाने के पश्चात से साक्ष्य वादी में वकील वादी ने बार–बार साक्ष्य हेतु अवसर चाहे हैं और प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। चूंकि पत्रावली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लंबित प्रकरणों की सूची में नंबर 10 पर है जिसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं। अतः वकील वादी को 5000/– रूपये की कोस्ट पर साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि साक्ष्य वादी में अपने समस्त साक्ष्य के शपथ पत्र पेश करें व गवाह को उपस्थित रखे और प्रतिवादी जिरह हेतु तैयार रहे। उक्त कोस्ट की राशि Registrar General LWFA, Rajasthan High Court के SBI Bank Branch Jhalamand, Jodhpur Account No. 41673952674 में जमा करवाने हेतु डी.डी. न्यायालय में पेश करें। उक्त कोस्ट राशि की डी.डी. पेश करने पर ही साक्ष्य वादी लेखबद्ध की जाएगी। अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है पेश नहीं करने पर अवसर	समाप्त समझा जावेगा
	पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश	